प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

FORM NO. 03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा

अनवान

रामेश्वर पि. प्यारा बनाम तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 136 LRAct मु०न० 13/2022 सन 2022 18/5/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
18/5/22	प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 फोलोअप केम्प बोराणा के दौरान प्रार्थी श्री रामेश्वर पि. प्यारा नाई नि. बोराणा के द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बोराणा मे सह खातेदार उदा पि. लालु के कोई जाइन्दा विधिक वारिसान नहीं होने से उनके द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे दिनांक 26.06.1993 को वसीयत की गयी थी। वसीयत कर्ता श्री उदयराम पि. लालु नाई नि. बोराणा दिनांक 29-12-2009 को फोत हो चुके है। मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया कि राजस्व ग्राम बोराणा मे सह खातेदार उदा पि. लालु के कोई विधिक वारिस नहीं होने से सह खातेदार उदा के द्वारा दिनांक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24:45 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	26-06-1993 को प्रार्थी के पक्ष में वसीयत की गयी। खातेदार वसीयत कर्ता दिनांक 29.12.2009 को फौत हो चुका है। प्रार्थी वसीयत कर्ता की भूमि पर काबिज है। अन्य सहखातेदारान प्रार्थी के नाम को कोई आपत्ति नहीं है। रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के द्वारा लाडूराम पि. ज्ञानचन्द सेन, एवं श्रीमति मोहनी देवी पत्नि ज्ञानचन्द सेन नि. बोराणा के बयान कराये गये है जो शामिल पत्रावली है। इसके साथ ही प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के फोलोअप केम्प आज दिनांक 18/5/2022 को केम्प मे उपस्थित ग्रामवासियों से मजमे आम मे जांच की गयी जिसमे ~~सम~~ उपस्थित ग्राम वासियान के द्वारा सहखातेदार उदा पि. लालु के कोई विधिक वारिस नहीं होना अवगत कराते हुये मृतक उदा के विधिक वारिस के रूप मे श्री रामेश्वरलाल ही होना बताया गया है। उपरोक्त विवरण के अ[illegible] तहसीलदार रायपुर के [illegible] पक्ष मे श्री उदा के द्वारा [illegible] वसीयत बाबत दिनांक 11.11.2006 के दैनिक नवज्योति मे भी प्रकाशन कर किसी को कोई एतराज हो तो आपत्ति च[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sund[illegible]
Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24[illegible]
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	माफी जिसके तहत तहसीलदार रायपुर के द्वारा वांछित अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज करने मे कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। **आदेश** प्रार्थी श्री रामेश्वर लाल पि. प्यारा के द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार उदा पि. लालु के नाम राजस्व ग्राम बोराणा मे अंकित आराजियात का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार रायपुर को पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) 18.05.2022 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा) (मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला-भीलवाड़ा (राज.))	मोवनी लादुलाल रामेश्वरलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24:45 IST
Reason: SelfAttested